न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी – सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 119/2024 दर्ज तिथि :– 26.07.2024

रायसिंह पुत्र धन्ना जाति कोली निवासी मिर्जापुर तहसील महवा जिला दौसा राज.

........वादी

बनाम

1. तहसीलदार महवा जिला दौसा
2. पारा देवी पुत्री नारायण पत्नि सोहनलाल
3. सम्पत्ति देवी पुत्री नारायण पत्नि बाबूलाल
   निवासी मिर्जापुर हाल निवासी ठिकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा
4. लल्लू पुत्र धन्ना जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना तहसील महवा जिला दौसा
5. राजूलाल पुत्र चिरंजी निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी जयन्ती नगर मीणा पाडली जयपुर
6. कैलाश पुत्र चिरंजी निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी जयन्ती नगर मीणा पाडली जयपुर
7. रामकेश पुत्र चिरंजी जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना तहसील महवा जिला दौसा
8. लडडो पुत्री चिरंजी पत्नि बृजमोहन जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी पीचूपाडा कलां तहसील सिकराय जिला दौसा
9. नरेन्द्र कुमार पुत्र राधाकिशन जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी बुद्ध बिहार फेज–2 सर्वा कोलोनी म.नं. डी.1/41 नई दिल्ली
10. हिम्मतसिंह पुत्र राधाकिशन जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी बुद्ध बिहार फेज–2 सर्वा कोलोनी म.नं. डी.1/41 नई दिल्ली
11. नीलम पुत्री राधाकिशन पत्नि पूरणमल जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी सुगनबाई की धर्मशाला के पीछे सोलालपुरा अलवर जिला अलवर राज.
12. सुनीता पुत्री राधाकिशन पत्नि सुनील कुमार जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी म.नं. 832 महावर नगर कोटला मुबारकपुर न्यू दिल्ली
13. मोहनलाल पुत्र कल्लू जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हालवासी म.नं. एफ0 84 जे.के. कॉलोनी पूनम गैस ऐजेन्सी के पास शकूरपुर नई दिल्ली
14. शेरसिंह पुत्र कल्लू जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हालवासी म.नं. एफ0 84 जे. के. कॉलोनी पूनम गैस ऐजेन्सी के पास शकूरपुर नई दिल्ली

.... प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–
वादी अधिवक्ता :– श्री समय सिंह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

Manisha

–: **निर्णय** :–

निर्णय तिथि:– 23.05.2025

आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं. 55/0.65, 56/1.21, 58/0.39, 59/0.14 कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 हैक्टेयर वाके ग्राम वीरपुर तहसील महवा जिला दौसा में वादी का हिस्सा 1/15 हिस्सा जमाबंदी दर्ज रिकॉर्ड है। शेष हिस्सा अन्य खातेदारान का जमाबंदी के अनुसार है तथा इसी हिस्सानुसार काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी वादी की पैतृक भूमि है जो उसको विरासत से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादी के पिता धन्ना की खातेदारी में रही है। धन्ना का देहान्त होने पर उसके वारिस सरूपी पत्नि, राधाकिशन पुत्र, चिरंजी पुत्र, रायसिंह पुत्र, लल्लू पुत्र के नाम नामान्तकरण खोलना चाहिये था लेकिन रायसिंह के स्थान पर रामसिंह के नाम खोला जाकर स्वीकार किया गया। वादी का वास्तविक सही नाम रायसिंह है लेकिन भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा रायसिंह के स्थान पर रामसिंह के नाम से नामान्तकरण संख्या 26 खोल दिया गया था। जो गलत है तथा वादी के अधिकारों के खिलाफ है। इसलिये वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादी अपने नामो के समर्थन में अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत गगवाना द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र भी वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये जा रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत होने के कारण वादी को राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही लाभ की योजनाओं का लाभ भी नही मिल रहा है। वादी दिनांक 27.06.2024 को प्रधानमंत्री किसान योजना में दी जा रही 6000/– रूपये की योजना के बारे में पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि रायसिंह पुत्र धन्ना के नाम से तो कोई खातेदारी की आराजी नही है। पटवारी हल्का द्वारा बताने पर वादी को इस गलती का पता चला जिस पर वादी ने तहसीलदार महवा से भूलवश अथवा सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में हुये गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने की कहा तो तहसीलदार महवा द्वारा साफ इन्कार कर दिया। जमाबंदी में वादी का नाम गलत होने के कारण वादी को अपने अधिकारों से वंचित होना पड रहा है तथा वादी का अपूर्तनीय क्षति हो रही है जिसकी पूर्ति करना किसी भी प्रकार से संभव नही है। इसलिये दावा न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अंत में निवेदन किया कि दावा बाबत् घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती विरूद्ध प्रतिवादगण इस आशय की घोषणा फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम रामसिंह पुत्र धन्ना के बजाय रायसिंह पुत्र धन्ना घोषित करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार महवा को दिये जावे तथा इसी प्रकार का इन्द्राज समस्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे तथा इस आशय का दावा डिक्री किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नही करें ना ही किसी अन्य से करावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 व 07 स्वयं उपस्थित आये तथा शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 व 07 के आगामी तारीख पेशीयो पर उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 01, 06, 08 लगायत 14 के बावजूद तामील उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी

Manish

CamScanner

रायसिंह ने साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया। अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते है इसलिये साक्ष्य वादी बंद की जाती है।

हमने वकील वादी की बहस सुनी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की ओर से वादपत्र के समर्थन में खतौनी व जमाबंदी संवत् 2050 से 2069 की प्रमाणित प्रति, नामान्तकरा संख्या 26 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी ग्राम वीरपुर खसरा नं. 55, 56, 58, 59 संवत् 2071–2074, फोटोप्रति आधार कार्ड, फोटोप्रति पैनकार्ड, फोटोप्रति जनाधार कार्ड, मतदाता सूची, पहचान कार्ड, फोटोप्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गगवाना दस्तावेजात प्रस्तुत किये। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 व 07 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादी का असल नाम रायसिंह पुत्र धन्ना है जो नामान्तकरण संख्या 26 खोलते समय सहवन से रायसिंह के स्थान पर रामसिंह दर्ज हो गया है। इस प्रकार वादी अपने वादपत्र को सिद्ध करने में सफल रहा है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादी का वाद पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा न. 55/0.65, 56/1.21, 58/0.39, 59/0.14 कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 हैक्टेयर वाके ग्राम वीरपुर तहसील महवा जिला दौसा की खातेदारी में दर्ज रामसिंह पुत्र धन्ना को हजफ किया जाकर रामसिंह पुत्र धन्ना के स्थान पर रायसिंह पुत्र धन्ना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार महवा को दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्ठियां की जावे। शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23.05.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
महवा दौसा

Manisha
(मनीषा रेशम, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी – सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 119/2024 दर्ज तिथि :– 26.07.2024

रायसिंह पुत्र धन्ना जाति कोली निवासी मिर्जापुर तहसील महवा जिला दौसा राज.

.........वादी

बनाम

1. तहसीलदार महवा जिला दौसा
2. पारा देवी पुत्री नारायण पत्नि सोहनलाल
3. सम्पत्ति देवी पुत्री नारायण पत्नि बाबूलाल
   निवासी मिर्जापुर हाल निवासी ठिकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा
4. लल्लू पुत्र धन्ना जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना तहसील महवा जिला दौसा
5. राजूलाल पुत्र चिरंजी निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी जयन्ती नगर मीणा पाडली जयपुर
6. कैलाश पुत्र चिरंजी निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी जयन्ती नगर मीणा पाडली जयपुर
7. रामकेश पुत्र चिरंजी जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना तहसील महवा जिला दौसा
8. लडडो पुत्री चिरंजी पत्नि बृजमोहन जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी पीचूपाडा कलां तहसील सिकराय जिला दौसा
9. नरेन्द्र कुमार पुत्र राधाकिशन जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी बुद्ध बिहार फेज–2 सर्वा कोलोनी म.नं. डी.1/41 नई दिल्ली
10. हिम्मतसिंह पुत्र राधाकिशन जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी बुद्ध बिहार फेज–2 सर्वा कोलोनी म.नं. डी.1/41 नई दिल्ली
11. नीलम पुत्री राधाकिशन पत्नि पूरणमल जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी सुगनबाई की धर्मशाला के पीछे सोलालपुरा अलवर जिला अलवर राज.
12. सुनीता पुत्री राधाकिशन पत्नि सुनील कुमार जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हाल निवासी म.नं. 832 महावर नगर कोटला मुबारकपुर न्यू दिल्ली
13. मोहनलाल पुत्र कल्लू जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हालवासी म.नं. एफ0 84 जे.के. कॉलोनी पूनम गैस ऐजेन्सी के पास शकूरपुर नई दिल्ली
14. शेरसिंह पुत्र कल्लू जाति कोली निवासी मिर्जापुर गगवाना हालवासी म.नं. एफ0 84 जे. के. कॉलोनी पूनम गैस ऐजेन्सी के पास शकूरपुर नई दिल्ली

.... प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–
वादी अधिवक्ता :– श्री समय सिंह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

Manisha

CamScanner

रायसिंह बनाम तहसीलदार महवा वगै0
119/2024
निर्णय :– 23.05.2025

–:: <u>पर्चा डिक्री</u> ::–

वादी का वाद पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 55/0.65, 56/1.21, 58/0.39, 59/0.14 कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 हैक्टेयर वाके ग्राम वीरपुर तहसील महवा जिला दौसा की खातेदारी में दर्ज रामसिंह पुत्र धन्ना को हजफ किया जाकर रामसिंह पुत्र धन्ना के स्थान पर रायसिंह पुत्र धन्ना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार महवा को दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्ठियां की जावे। शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्ठियां की जावे। पर्चा डिकी पृथक से तैयार की गई।

यह पर्चा डिकी मेरे द्वारा आज दिनांक 23.05.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनीषा रेशम, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा